भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2406
उत्तर देने की तारीख-**03/08/**202**6**

आंध्र प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना

†2406. **श्री बस्तीपति नागराजू:**
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में स्थापित तकनीकी शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या का राज्य-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की विशेषकर आंध्र प्रदेश के उपेक्षित/वंचित क्षेत्रों में नए तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं, डिजिटल क्लासरूम आदि सहित तकनीकी शिक्षा संस्थानों की मौजूदा अवसंरचना में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ङ.) यदि हां, तो इस संबंध में आवंटित और जारी की गई निधि सहित तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार की उक्त संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, डेटा साइंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में नए तकनीकी पाठ्यक्रम, कौशल-आधारित मॉड्यूल और विशेष कार्यशालाएं शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है**,** तकनीकी संस्थानों**,** संवत विश्वविद्यालय संस्थानों और स्वतंत्र संस्थानों को एआईसीटीई अधिनियम**, 1987** और उसके बाद बनाए गए नियमों **&** विनियमों के प्रावधानों के अनुसार डिप्लोमा**,** स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करने पर पात्र आवेदक संस्थानों को अनुमोदन दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सहित

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है और आंध्र प्रदेश राज्य में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का जिलावार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 891 एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थान पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

एआईसीटीई ने अपने नियामक ढांचे के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और संस्थागत बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, शिक्षण सुविधाओं, आईसीटी सक्षम कक्षाओं, पुस्तकालयों, नवाचार सुविधाओं और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अन्य शैक्षणिक संसाधनों से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।

उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों को उन्नत करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा साइंस (डीएस), मशीन लर्निंग (एमएल), साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके उद्योग के विशेषज्ञों के इनपुट के साथ अपने मॉडल पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। एआईसीटीई सीएसआर पहलों के तहत एमओयू भागीदारों के माध्यम से आईडीईए प्रयोगशाला और आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को हटाने (मोड्रोब्स), उद्योग समर्थित प्रयोगशालाओं / उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का भी समर्थन करता है ताकि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

इसके अलावा, एआईसीटीई उद्योग, व्यावसायिक निकायों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित परामर्श करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी शिक्षा प्रासंगिक, दक्षता-आधारित, बहु-विषयक और एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यबल की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे को अधिसूचित किया है और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को ढांचे को अपनाने के लिए कहा गया है। इस ढांचे में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), थ्री-डी प्रिंटिंग, बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज और डीप लर्निंग आदि जैसे तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे अत्याधुनिक क्षेत्रों में डिजिटल और तकनीकी समाधान जैसे मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग आदि उभरते क्षेत्रों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न शिखर सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन/प्रोत्साहन किया है। इनमें 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन – सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आरएआईएसई **2020)'** तथा 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (एनपीएआई**)'** जैसी पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में कौशल विकास को

बढ़ावा देना तथा इस दिशा में व्यापक जन-जागरूकता और सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) / प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के तहत राज्य सरकार को निधियां प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत के बाद से आंध्र प्रदेश में मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे विभिन्न घटकों के तहत 736.06 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 167 इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष **2025-26** के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

भारत सरकार ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में आईआईटी तिरुपति, आईआईएम विशाखापत्तनम, आईआईएसईआर तिरुपति, आईआईटी कुरनूल, एनआईटी आंध्र प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति (उन्नत) जैसे कई केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान (सीएफआई) स्थापित किए हैं।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा 'आंध्र प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2406 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (2026-27)

राज्य	अनुमोदित संस्थानों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4
आंध्र प्रदेश	891
अरुणाचल प्रदेश	11
असम	90
बिहार	736
चंडीगढ़	26
छत्तीसगढ	201
दादरा और नगर हवेली	4
दमन और दीव	4
दिल्ली	95
गोवा	28
गुजरात	580
हरियाणा	412
हिमाचल प्रदेश	85
जम्मू और कश्मीर	57
झारखंड	115
कर्नाटक	1,730
केरल	709
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	823
महाराष्ट्र	1,601
मणिपुर	5
मेघालय	14
मिजोरम	9
नागालैंड	15
ओडिशा	458
पुदुचेरी	35
पंजाब	452
राजस्थान	483
सिक्किम	5
तमिलनाडु	1,242
तेलंगाना	624
त्रिपुरा	17
उत्तर प्रदेश	1,108
उत्तराखंड	174
पश्चिम बंगाल	359

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा 'आंध्र प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2406 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का जिलावार विवरण (2026-27)

क्र.सं.	जिला	अनुमोदित संस्थानों की संख्या
1.	अनंतपुर	73
2.	चित्तूर	115
3.	पूर्वी गोदावरी	96
4.	गुंटूर	89
5.	खम्मम	1
6.	कृष्ण	76
7.	कुरनूल	42
8.	नेल्लोर	57
9.	प्रकाशम	60
10.	श्रीकाकुलम	18
11.	तिरुपति	3
12.	विशाखापत्तनम	103
13.	विजयनगरम	37
14.	पश्चिम गोदावरी	53
15.	वाई.एस.आर. कडपा	68

अनुलग्नक-III

माननीय संसद सदस्य श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा 'आंध्र प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2406 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2025-26 में जारी (राशि करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	37.36
2	अरुणाचल प्रदेश	10
3	असम	64.34
4	बिहार	3.92
5	चंडीगढ़	5
6	छत्तीसगढ	11.56
7	गोवा	15.62
8	गुजरात	45
9	हरियाणा	3.09
10	हिमाचल प्रदेश	39.45
11	जम्मू एवं कश्मीर	27.66
12	झारखंड	29.5
13	कर्नाटक	41.26
14	केरल	42.66
15	लद्दाख	9.16
16	मध्य प्रदेश	29.32
17	महाराष्ट्र	92.49
18	मणिपुर	7.05
19	मेघालय	13.39
20	मिजोरम	14.8
21	नागालैंड	10.01
22	ओडिशा	11.72
23	पुदुचेरी	8.97
24	पंजाब	8.93
25	राजस्थान	37.64
26	सिक्किम	19.57
27	तमिलनाडु	33
28	तेलंगाना	36.83
29	त्रिपुरा	7.35
30	उत्तर प्रदेश	98.99
31	उत्तराखंड	41.93
32	पश्चिम बंगाल	6.69